न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट मोंठ झांसी।

परिवाद सं0–266/2009

जे0ओ0कोड यू0पी0 3567

उपस्थितः– शुभम चौधरी (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

शकील खॉ **बनाम** **किशुन सिंह यादव आदि**

थाना – पूँछ,
जिला – झांसी।

दिनांकः–30.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है।

पत्रावली पर उपलब्ध आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को विगत कई तिथियों पर अवसर दिये जाने के बावजूद परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को परिवाद में अब कोई रुचि शेष नहीं है।

प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 256 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद, अन्तर्गत धारा 256 दण्ड प्रक्रिया संहिता में निरस्त किया जाता है तथा अभियुक्तगण को दोष–मुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(शुभम चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी
जे.ओ.कोड 3567